राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

यह योजना 1960–1970 दशक के मध्य में प्रारम्भ हुई थी । इन विद्यालयों में अत्यन्त निर्धन परिवार जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते, के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र एवं भोजन आदि की सुविधायें प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 47 जनपद आच्छादित हैं। प्रदेश में कुल 80 विद्यालय स्वीकृत है जिनमें से 57 संचालित हैं जिनकी कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता 26,525 है। सभी विद्यालयों को कक्षा 12 तक माह अक्टूबर, 2008 में उच्चीकृत करते हुए मान्यता दी गयी है। शेष 23 विद्यालय निर्माणाधीन हैं।